



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 31.03.2022

पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा चतुर्थ नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु व्यापार योजना तथा चतुर्थ नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर निर्धारण हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें पिटकुल द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2020-21 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) चाहा गया।
- तदनुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :-
 - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सहीकरण (truing up)।
 - चतुर्थ नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु व्यापार योजना पर अनुमोदन।
 - वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के सहीकरण (truing up) हेतु रू0 29.45 करोड़ की धनराशि का अन्तर (Gap) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल रू0 46.20 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:-

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (रू0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	323.11	423.08	359.21
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-49.46	35.04	-55.00
कुल	273.65	458.12	304.29
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	67.41%	11.20%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त रू0 214.98 करोड़ एवं रू0 407.63 करोड़ की धनराशि क्रमशः प्रारम्भिक इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखण्ड शासन को पॉवर डेवलपमेन्ट फण्ड अंशदान के रूप में इक्विटी के तौर पर मांग की गयी थी। आयोग द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गयी।
